प्रेस नोट

जनपद – सोनभद्र

दिनांक – 15.01.2026

तेल माफिया पर सोनभद्र पुलिस का बड़ा प्रहार

SP सोनभद्र के निर्देशन में अवैध तेल कालाबजारी के खिलाफ "डबल एक्शन"

चोपन व अनपरा में एक ही दिन ताबड़तोड़ छापेमारी, नामजद अभियुक्त गिरफ्तार, भारी मात्रा में डीजल-पेट्रोल व उपकरण बरामद।

जनपद सोनभद्र में अवैध तेल कालाबजारी पर प्रभावी नियंत्रण एवं जनहित में कानून-व्यवस्था को सुदृढ़ बनाए रखने के उद्देश्य से **पुलिस अधीक्षक सोनभद्र श्री अभिषेक वर्मा** के निर्देशन में अवैध तेल कारोबारियों के विरुद्ध विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इसी अभियान के क्रम में दिनांक **14.01.2026** को सोनभद्र पुलिस द्वारा **दो अलग-अलग थाना क्षेत्रों में एक साथ सुनियोजित एवं प्रभावी कार्रवाई** करते हुए अवैध तेल कालाबजारी में संलिप्त अभियुक्तों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की गई है।

कार्रवाई संख्या–01 : थाना चोपन क्षेत्र (गुरमुरा)

अपर पुलिस अधीक्षक (मुख्यालय) श्री अनिल कुमार के पर्यवेक्षण तथा क्षेत्राधिकारी नगर श्री रणधीर मिश्रा एवं क्षेत्राधिकारी यातायात डॉ. चारु द्विवेदी के नेतृत्व में थाना चोपन पुलिस द्वारा थाना चोपन क्षेत्रान्तर्गत गुरमुरा में अवैध तेल कालाबजारी के विरुद्ध छापेमारी की गई। छापेमारी के दौरान 02 ड्रमों में कुल 120 लीटर अवैध डीजल, 20 लीटर अवैध पेट्रोल, एक टैंकर संख्या CG12AQ3258, 200 लीटर क्षमता के 05 खाली ड्रम, 50 लीटर क्षमता के 02 खाली ड्रम, 20 लीटर के 02 खाली जर्केन, 01 मोटर पंप, 02 लोहे के कूपे, बरामद कर, मौके से दो अभियुक्तों 01. राम आशीष कुमार, पुत्र श्मादेव प्रसाद यादव, निवासी केन्दुआ, पोस्ट रजौली, थाना रजौली, जनपद नवादा (बिहार), उम्र लगभग 34 वर्ष व 02. मनीष कुमार, पुत्र राजकुमार पनीका, निवासी गुरमुरा, पोस्ट गुरमुरा, थाना चोपन, जनपद सोनभद्र, उम्र लगभग 22 वर्ष को गिरफ्तार किया गया जबकि सोनू जायसवाल पुत्र रामन्द्र, निवासी गुरमुरा, थाना चोपन, जनपद सोनभद्र मौके से फरार हो गया, जिसकी गिरफ्तारी हेतु पुलिस द्वारा लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। उक्त बरामदगी के आधार पर थाना चोपन पर मु0अ0सं0- 21/2026 धारा 287, 316(3), 303(2), 317(2), 317(4), बीएनएस व धारा 3, 4 सार्वजनिक सम्पत्ति क्षति निवारण अधिनियम अभियोग पंजीकृत कर अग्रेतर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण

01. राम आशीष कुमार, पुत्र श्मादेव प्रसाद यादव, निवासी केन्दुआ, पोस्ट रजौली, थाना रजौली, जनपद नवादा (बिहार), उम्र लगभग 34 वर्ष ।

2. मनीष कुमार, पुत्र राजकुमार पनीका, निवासी गुरमुरा, पोस्ट गुरमुरा, थाना चोपन, जनपद सोनभद्र, उम्र लगभग 22 वर्ष।

वांछित अभियुक्त का विवरण-
सोनू जायसवाल पुत्र रामन्द्र, निवासी गुरमुरा, थाना चोपन, जनपद सोनभद्र।
बरामदगी का विवरण —

- 02 ड्रमों में कुल 120 लीटर अवैध डीजल
- 20 लीटर अवैध पेट्रोल
- एक टैंकर संख्या CG12AQ3258
- 200 लीटर क्षमता के 05 खाली ड्रम
- 50 लीटर क्षमता के 02 खाली ड्रम
- 20 लीटर के 02 खाली जर्केन
- 01 मोटर पंप
- 02 लोहे के कूपे

कार्रवाई संख्या–02 : थाना अनपरा क्षेत्र (बैरपान)

इसी क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक (मुख्यालय) श्री अनिल कुमार के पर्यवेक्षण तथा क्षेत्राधिकारी पिपरी श्री हर्ष पाण्डेय के नेतृत्व में थाना अनपरा पुलिस द्वारा थाना अनपरा क्षेत्रान्तर्गत बैरपान में अवैध तेल कालाबजारी के विरुद्ध कार्रवाई की गई। छापेमारी के दौरान 02 ड्रमों से कुल 180 लीटर अवैध डीजल, 02 जर्केन से कुल 50 लीटर अवैध डिजल, 03 अदद खाली गैलन व एक अदद प्लास्टिक की पाईप बरामद किया गया तथा मौके से एक अभियुक्त अमरेश यादव, पुत्र रामउजागिर यादव, निवासी बैरपान, थाना अनपरा, जनपद सोनभद्र, उम्र लगभग 24 वर्ष को गिरफ्तार किया गया। जबकि जगत यादव पुत्र रामचरित्र यादव, निवासी बैरपान, थाना अनपरा, जनपद सोनभद्र मौके से फरार हो गया, जिसकी तलाश की जा रही है। इस संबंध में थाना अनपरा पर मु0अ0सं0-07/2026 धारा-287, 303(2), 317(2), 317(4) बीएनएस में अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण
अमरेश यादव, पुत्र रामउजागिर यादव, निवासी बैरपान, थाना अनपरा, जनपद सोनभद्र, उम्र लगभग 24 वर्ष।
वांछित अभियुक्त का विवरण-
जगत यादव पुत्र रामचरित्र यादव, निवासी बैरपान, थाना अनपरा, जनपद सोनभद्र।
बरामदगी — 02 ड्रमों से कुल 180 लीटर अवैध डीजल, 02 जर्केन से कुल 50 लीटर अवैध डिजल, 03 अदद खाली गैलन व एक अदद प्लास्टिक की पाईप।
सख्त संदेश- उक्त प्रकरणों में संलिप्त अभियुक्तों के विरुद्ध कठोरतम कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। अवैध तेल कालाबजारी के इस नेटवर्क की गहन जांच की जा रही है तथा आवश्यकता पड़ने पर **गैंगेस्टर एक्ट के अंतर्गत भी कार्रवाई** की जाएगी।

सोनभद्र पुलिस स्पष्ट करती है कि अवैध कारोबार, कालाबजारी एवं जनविरोधी गतिविधियों के लिए जनपद में कोई स्थान नहीं है। भविष्य में भी इस प्रकार की कार्रवाई निरंतर जारी रहेगी।